# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

( भाग-1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर )

शुक्रवार, तिथि 17 दिसम्बर, 1982

विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 .. | 2—9 |
| तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 एवं 15। | 10—31 |
| परिशिष्ट 1 एवं 2 (प्रश्नों के लिखित उत्तर) .. | 31—396 |
| दैनिक निबंध .. | 397-398 |


टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

इस परियोजना पर होने वाला व्यय किस मद से योजना मद अथवा गैरयोजना मद से वहन किया जाय—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

---

पुलियों का निर्माण।

सामु-134. श्री यमुना प्रसाद सिंह—क्या मन्त्री, ग्रा० पु० एवं पं० रा० विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखण्ड में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा आर० सी० सी० पुलिया के निर्माण हेतु जनवरी, 1982 से मार्च, 1982 तक किन-किन लोगों को कितनी-कितनी राशि अग्रिम दी गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि अभी तक कार्यारम्भ नहीं कराया गया है, यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से व्यक्ति जिम्मेवार हैं, क्या सरकार उक्त पुलियों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक ?

प्रभारी मंत्री, ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं पंचायती राज विभाग (1) मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखण्ड में जनवरी, 1982 से मार्च, 1982 की अवधि में मात्र एक व्यक्ति श्री बिरेन्द्र मिश्र, ग्राम लक्ष्मीपुर को 3,000 रुपये की अग्रिम पुलिया निर्माण मद में दिया गया है।

(2) उत्तर नकारात्मक है। पुलिया निर्माण का कार्य आरम्भ हो चुका है और निकट भविष्य में ही कार्य सम्पन्न हो जायगा।

---

पुनः सड़क का पक्कीकरण।

पथ-352. श्री मो० यासीन—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां से श्रीनगर जाने वाली सड़क को लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 1980 में ले लिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क की हालत दयनीय होने के कारण यातायात ठप्प है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क को पुनः पक्कीकरण करने हेतु 1981 से विभाग में प्राक्कलन स्वीकृति हेतु लम्बित है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सड़क को पुनः पक्कीकरण कबतक करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मन्त्री, पथ निर्माण विभाग—(1) वस्तुस्थिति यह है कि यह पथ जिला परिषद् का है। इसे विभाग ने लिया नहीं है। परन्तु इसके सुधार का प्राक्कलन पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(4) योजना मद में निधि की कमी के कारण इस सड़क को अभी लेना संभव नहीं है।

---

श्री भगत के विरुद्ध कार्रवाई।

पथ-41. श्री रघुनन्दन प्रसाद—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहायक अभियन्ता श्री महेश प्रसाद भगत, पथ-अवर प्रमण्डल, साहेबगंज का स्थानान्तरण लोक निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या 8063 (एस), दिनांक 10 दिसम्बर, 1982 द्वारा साहेबगंज पथ अवर-प्रमण्डल, सर्वेक्षण प्रमण्डल, भागलपुर में कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में अवर-सचिव, लोक निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1585 (एस), दिनांक 3 फरवरी, 1982 द्वारा उन्हें तीन दिनों के अन्दर एवं अपर सचिव, पथ एवं भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 2586 (एस), दिनांक 6 मई, 1982 के द्वारा अविलम्ब प्रमण्डल के वरीय अवर-प्रमण्डल पदाधिकारी से विरमित कराकर मुख्यालय में योगदान देने का आदेश दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त स्पष्ट आदेश के बावजूद भी श्री भगत ने आज तक अपना नया कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो श्री भगत के विरुद्ध सरकार कौन-सी कार्रवाई करने जा रही है ?